

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय - आदेश ::

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक-एफ. 3(ए)(5)शिक्षा/प्रोफार्मा पदोन्नति/सीटीएडी/17-18/21045 दिनांक : 14.08.18 के अनुक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा संचालित राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत इस विभाग के निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम : 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष पद पर लेवल-12 में वर्ष : 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने सम्बन्धी की गई अनुशंसाओं के आधार पर वर्तमान प्रतिनियुक्ति स्थान पर एतद् द्वारा प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम व.अ.	प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान पदस्थापन स्थान	व्याख्याता पद पर पदोन्नति का विषय
1.	2.	3.	4.
1.	श्री सत्यप्रकाश शर्मा	राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय, झालरापाटन, झालावाड़	रसायन विज्ञान
2.	श्री पंकज स्वर्णकार	राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय, सागवाड़ा, डूंगरपुर	भौतिक विज्ञान

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक : 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि, जिनके दिनांक : 01.06.2002 को या उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हो, तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-8/रसा-भौतिक/प्रोफार्मा पदोन्नति/2018 दिनांक : 15/6/18
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. सम्बन्धित मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक, कोटा/उदयपुर।
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, झालावाड़/डूंगरपुर।
5. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
7. गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर